छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा द्वादश सत्र अंक-25

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च, 2013

(चैत्र-1, शक संवत 1935)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1.प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 08 (कुल 08) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 08 तारांकित एवं 31 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 03 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन :-

(i) मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए मुख्य एवं गौण खनिज प्राप्तियों का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण (वर्ष 2012 का प्रतिवेदन क्रमांक-4) छत्तीसगढ़ शासन

(ii) 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन (वर्ष 2013 का प्रतिवेदन क्रं. 1) छत्तीसगढ़ शासन

(iii) 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सामान्य, सामाजिक, आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन) (वर्ष 2013 का प्रतिवेदन क्रं. 2) छत्तीसगढ़ शासन

(iv) 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए (राज्य वित्त) (वर्ष 2011-12 का प्रतिवेदन क्रं. 1) छत्तीसगढ़ शासन

(2) श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-09/2012/32, दिनांक 4 मार्च, 2013,

(3) श्री केदारनाथ कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने वक्फ अधिनियम, 1995 (क्रमांक 43 सन् 1995) की धारा 98 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012, तथा

(4) श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 44 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 से 2009-10 **पटल पर रखे।**

4. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि-अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत कार्यसूची में 16 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को शामिल किया गया है। इनमें से प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

सदन द्वारा सहमति दी गई।

(1) श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सदस्य ने जिला-रायपुर राजस्व निरीक्षक मंडल, खरोरा में शासकीय भूमि का अवैध रूप से विक्रय किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री दयालदास बघेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री नंद कुमार साहू, सदस्य ने रायपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-डुमरतराई में भू-स्वामी की बिना सहमति के व्यवसायिक कार्यों हेतु भूमि अधिग्रहण किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने गए:-

उप पद क्रमांक	**सदस्य**
(3)	श्री देवजी पटेल
(4)	श्री नंद कुमार पटेल
(5)	डॉ.हरिदास भारद्वाज
(6)	श्री देवजी पटेल
(7)	श्री अग्नि चंद्राकर
(8)	डॉ.हरिदास भारद्वाज
(9)	सर्वश्री कुलदीप सिंह जुनेजा, देवजी पटेल
(11)	सर्वश्री देवजी पटेल, कुलदीप सिंह जुनेजा,
(12)	श्री ताम्रध्वज साहू
(13)	डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, श्री रामदेव राम
(14)	श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री भजन सिंह निरंकारी
(15)	सर्वश्री धर्मजीत सिंह, कुलदीप सिंह जुनेजा,
(16)	श्री ताम्रध्वज साहू

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य की नियम 267-क की सूचना पढ़ी हुई मानी गई।

6. याचिका की प्रस्तुति

श्री दूजराम बौद्ध, सदस्य ने पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत डुड़गा से कोसला पहुंच मार्ग निर्माण करने के संबंध में याचिका प्रस्तुत की।

7. प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

(1) श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति ने प्रस्ताव किया कि - ग्राम हथबंध, जिला रायपुर स्थित गुरुकुल बाल आश्रम से एक बच्ची को बेचे जाने के संबंध में महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति को संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाये।

(2) श्री नंद कुमार साहू, सदस्य, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति ने प्रस्ताव किया कि-दिनांक 18 से 21 मार्च, 2010 तक बिलासपुर के विश्राम गृह एवं अन्य स्थानों पर ठहरने की व्यवस्था के दौरान शासन के निर्देशों,शिष्टाचार क्रम के पालन संबंधी कार्यवाही पर, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाये।

(3) श्री दीपक कुमार पटेल, सदस्य, प्रश्न एवं संदर्भ समिति ने प्रस्ताव किया कि - साल बीज संग्रहण में अनियमितता के संबंध में जांच हेतु प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाये।

(4) श्री दीपक कुमार पटेल, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने प्रस्ताव किया कि - सभा की अवमानना संबंधी विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाये।

(5) श्री दीपक कुमार पटेल, सभापति, ने प्रस्ताव किया कि - डॉ.अनिल खाखरिया, निवासी पुराना बस स्टेण्ड, रायपुर के विरूद्ध विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाये।

(6) श्री नंद कुमार साहू, सदस्य, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति ने प्रस्ताव किया कि-दिनांक 17.09.2012 को माननीय सदस्य श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर से श्रीमती रानू साहू (मौर्य) अनुविभागीय अधिकारी, सारंगढ़, जिला रायगढ़ द्वारा किये असम्मानजनक व्यवहार संबंधी प्रकरण पर, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुये।

8. अशासकीय संकल्प

(1) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 342 के सरल क्रमांक 16 में धुरू, धुरूवा, धोबा, धूलिया के आगे धुरी, धूरी को सम्मिलित किया जाय।"

श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री राजू सिंह ठाकुर, डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री टी.एस.सिंहदेव।

श्री केदारनाथ कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प स्वीकृत हुआ।

(2) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, रायपुर को अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया जाय।"

श्री देवजी पटेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, डॉ.सुभाऊ कश्यप, श्री दीपक कुमार पटेल।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(3) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 341 के सरल क्रमांक 10 में बेलदार, सुनकर के पश्चात् सोनकर स्थापित किया जाय।"

श्री दीपक कुमार पटेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री फूलचंद सिंह,

श्री केदारनाथ कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(4) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "रायपुर से अभनपुर, धमतरी, केरेगांव, दुगली, गट्टासिल्ली, बिरगुड़ी, नगरी, सिहावा, बोरई, घुटकेल, लिखमा, भारन होते हुए (उड़ीसा) रायगढ़ तक रेल लाईन बनाई जाय।"

श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री विरेन्द्र कुमार साहू, डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.सुभाऊ कश्यप।

श्री राजेश मूणत, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(5) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "सरायपाली से सारंगढ़ तक फोरलेन मार्ग का निर्माण किया जाय।"

श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री देवजी पटेल, डॉ.हरिदास भारद्वाज।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं संकल्प में संशोधन प्रस्तुत किया कि "सरायपाली से सारंगढ़ तक फोरलेन मार्ग का निर्माण किया जाय" के स्थान पर "सरायपाली से सारंगढ़ होते हुए रायगढ़ तक टू लेन सोल्डर सहित मार्ग का निर्माण किया जाये।"

माननीय सदस्य ने संशोधन पर सहमति व्यक्त की । तद्नुसार यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "सरायपाली से सारंगढ़ होते हुए रायगढ़ तक टू लेन सोल्डर सहित मार्ग का निर्माण किया जाये।"

यथासंशोधित संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ।

9. समितियों का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए क्रमशः 9-9 उम्मीदवारों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, चूंकि तीनों समितियों के लिए क्रमशः 9-9 सदस्य ही निर्वाचित किये जाने हैं, अतः निम्नांकित सदस्यों को उक्त समितियों के लिये निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन उक्त समितियों के सभापतियों को नियुक्त किया जाता है :-

लोक लेखा समिति

1. डॉ.सुभाऊ कश्यप
2. श्री बद्रीधर दीवान
3. डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी
4. श्री संतोष बाफना
5. श्री विरेन्द्र कुमार साहू
6. श्री धर्मजीत सिंह
7. डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम
8. डॉ.शक्राजीत नायक
9. डॉ.हरिदास भारद्वाज

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्राक्कलन समिति

1. श्री देवजी पटेल
2. श्री बैदूराम कश्यप
3. श्री दीपक कुमार पटेल
4. श्री फूलचंद सिंह
5. श्री राजू सिंह ठाकुर

6. श्री बोधराम कंवर
7. श्री मोहम्मद अकबर
8. श्री धर्मजीत सिंह
9. श्री अग्नि चंद्राकर

श्री देवजी पटेल, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

1. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
2. श्री दीपक कुमार पटेल
3. श्री खेदूराम साहू
4. श्री भीमा मंडावी
5. श्री ब्रम्हानंद
6. श्री महंत रामसुंदर दास
7. श्री ताम्रध्वज साहू
8. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
9. श्री टी.एस.सिंहदेव

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 9 उम्मीदवारों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, चूंकि समिति के लिए 9 सदस्य ही निर्वाचित किये जाने हैं, अत: निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समितियों के लिये निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर नियम 180 के उपनियम (1) के अधीन उक्त समिति के सभापति को नियुक्त किया जाता है:-

1. श्री भीमा मंडावी
2. श्री ब्रम्हानंद

3. श्री रामजी भारती
4. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
5. श्री विरेन्द्र कुमार साहू
6. डॉ.शिवकुमार डहरिया
7. श्री शिवराज सिंह उसारे
8. श्री चैतराम साहू
9. श्री भोलाराम साहू

श्री भीमा मण्डावी, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

11. नाम निर्देशित समितियों का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 203(1), 208(1), 213, 217(1), 224(2), 225(1), 231(2), 232(1), 233(1), 234-ग, 234-घ(2) एवं 234-ज(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नानुसार समितियों के लिए सदस्यों को वर्ष 2013-2014 की अवधि में सेवा करने के लिये तथा नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन समितियों में उनके सभापतियों को नियुक्त करता हूंः-

कार्य मंत्रणा समिति

1. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री
2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्यमंत्री,
3. श्री रामविचार नेताम, उच्च शिक्षा एवं जल संसाधन मंत्री
4. श्री हेमचंद यादव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री
5. श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा,
6. श्री नंदकुमार पटेल
7. श्री मोहम्मद अकबर
8. श्री धर्मजीत सिंह

विशेष आमंत्रित सदस्य

1. श्री नारायण चंदेल, उपाध्यक्ष, विधानसभा
2. श्री ननकीराम कंवर, गृहमंत्री
3. श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री
4. श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
5. श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री
6. श्री रामपुकार सिंह
7. श्री बोधराम कंवर
8. डॉ. हरिदास भारद्वाज
9. डॉ. शक्राजीत नायक

अध्यक्ष विधानसभा उक्त समिति के पदेन सभापति होंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

1. श्री विरेन्द्र कुमार साहू
2. श्री खेदूराम साहू
3. श्री जगेश्वर राम भगत
4. श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम
5. श्री बदरूद्दीन कुरैशी
6. श्री राजकमल सिंघानिया
7. श्री अमरजीत भगत

श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सदस्य, को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

याचिका समिति

1. श्री राजू सिंह ठाकुर
2. श्रीमती कुमारी मदन साहू
3. श्री डमरूधर पुजारी

4. श्री बर्नाड जोसेफ रोड्रीक्स
5. श्री महंत रामसुंदर दास
6. श्री हृदयराम राठिया
7. श्री रामदयाल उइके

श्री राजू सिंह ठाकुर, सदस्य, को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्रत्यायुक्त विधान समिति

1. श्री सेवकराम नेताम
2. श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी
3. श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा
4. श्री रामजी भारती
5. श्री रामदेव राम
6. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
7. श्री जयसिंह अग्रवाल

श्री सेवकराम नेताम, सदस्य, को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

1. श्री फूलचंद सिंह
2. श्रीमती लक्ष्मी बघेल
3. श्री खेदूराम साहू
4. डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी
5. डॉ.शिवकुमार डहरिया
6. श्री कुलदीप सिंह जुनेजा
7. श्री अमरजीत भगत

श्री फूलचंद सिंह, सदस्य, को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

विशेषाधिकार समिति

1. श्री दीपक कुमार पटेल
2. श्रीमती सुमीत्रा मारकोले
3. श्री संतोष बाफना
4. डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी
5. श्री कुलदीप सिंह जुनेजा
6. डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम
7. श्री ताम्रध्वज साहू

श्री दीपक कुमार पटेल, सदस्य, को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

नियम समिति

1. श्री देवजी पटेल
2. श्री बद्रीधर दीवान
3. श्री राजकमल सिंघानिया
4. श्री गुरूमुख सिंह होरा
5. श्री अमितेश शुक्ल

अध्यक्ष, विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति तथा माननीय विधि मंत्री उक्त समिति के पदेन सदस्य होंगे।

सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति

1. श्री बद्रीधर दीवान
2. श्रीमती सुमीत्रा मारकोले
3. श्री नंदकुमार साहू
4. श्री भीमा मण्डावी

5. श्री संतोष बाफना
6. श्री परेश बागबाहरा
7. श्री रामपुकार सिंह
8. श्री गुरू रूद्र कुमार
9. श्री सौरभ सिंह

श्री बद्रीधर दीवान, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

पुस्तकालय समिति

1. श्री देवजी पटेल
2. श्री दीपक कुमार पटेल
3. श्री विरेन्द्र कुमार साहू
4. श्री संतोष बाफना
5. श्री अजीत जोगी
6. श्री लखमा कवासी
7. श्री दूजराम बौद्ध

श्री देवजी पटेल, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति

1. श्री बैदूराम कश्यप
2. श्रीमती रेणुका सिंह
3. श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी
4. श्री खेदूराम साहू
5. श्री अग्नि चंद्राकर
6. श्री चैतराम साहू
7. श्री भजन सिंह निरंकारी

श्री बैदूराम कश्यप, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्रश्न एवं संदर्भ समिति

1. डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी
2. श्री दीपक कुमार पटेल
3. श्री विरेन्द्र कुमार साहू
4. श्री संतोष बाफना
5. श्री परेश बागबाहरा
6. श्री लखमा कवासी
7. श्री रामदेव राम

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

आचरण समिति

1. श्री बद्रीधर दीवान
2. श्रीमती लक्ष्मी बघेल
3. श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा
4. श्री अमितेश शुक्ल
5. श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर
6. श्री रामदयाल उइके

अध्यक्ष, विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति तथा माननीय मुख्यमंत्री व माननीय नेता प्रतिपक्ष समिति के पदेन सदस्य होंगे ।

12. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-च के उप नियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति के लिए निम्नलिखित सदस्यों को सेवा करने के लिये नाम-निर्दिष्ट तथा नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के तहत समिति के सभापति को नियुक्त करता हूं:-

1. श्रीमती लक्ष्मी बघेल
2. श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी
3. श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम
4. श्री सेवकराम नेताम
5. श्री डमरूधर पुजारी
6. डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी
7. श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर
8. श्रीमती अंबिका मरकाम
9. श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर

श्रीमती लक्ष्मी बघेल, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

13. सामान्य प्रयोजन समिति का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234 के उप नियम (1) के द्वारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं निम्नानुसार सदस्यों को सामान्य प्रयोजन समिति के लिए वर्ष 2013-2014 की अवधि में सेवा करने के लिये नाम निर्दिष्ट करता हूं :-

1. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री
2. श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा
3. श्री नारायण चंदेल, उपाध्यक्ष, विधान सभा
4. श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री
5. श्री देवजी पटेल
6. डॉ कृष्णमूर्ति बांधी
7. श्री भीमा मण्डावी
8. श्री विरेन्द्र कुमार साहू
9. श्री राजू सिंह ठाकुर
10. श्री सेवकराम नेताम
11. श्री फूलचन्द सिंह

12. श्री दीपक कुमार पटेल
13. श्री बद्रीधर दीवान
14. श्री बैदूराम कश्यप
15. श्रीमती लक्ष्मी बघेल
16. डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम
17. श्री धर्मजीत सिंह
18. डॉ.हरिदास भारद्वाज
19. श्री ताम्रध्वज साहू

अध्यक्ष, विधान सभा उक्त समिति का पदेन सभापति होंगे।

14. नियम - 167 के अंतर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 167 के परन्तुक के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री कुलदीप सिंह जुनेजा द्वारा जोन कमिश्नर, जोन क्रमांक 3, नगर पालिका निगम, रायपुर के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना, दिनांक 18 मार्च, 2013 को विचारोपरांत कक्ष में अग्राह्य कर दी है।

15. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्‌बोधन

माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय सदस्यगण, तृतीय विधान सभा के बारहवें सत्र का आज अंतिम दिवस है । इस बजट सत्र का आरंभ माननीय राज्यपाल श्री शेखर दत्त जी के अभिभाषण से दिनांक 18 फरवरी, 2013 को हुआ । मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि 25 दिवसीय इस बजट सत्र का समापन आज सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हो रहा है ।

यद्यपि इस बजट सत्र में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों एवं सरकार के मध्य विचारों की भिन्नता के फलस्वरूप सदन में एक-दो अवसरों पर गतिरोध के अवसर भी आये किंतु मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि प्रतिपक्ष के सदस्यों ने गर्भगृह में प्रवेश न करने के उनके संकल्प का संयम के साथ पालन करते हुए संसदीय प्रक्रियाओं में असहमति व्यक्त करने के प्रभावी मान्य तरीके, सभा से बहिर्गमन के द्वारा अपनी असहमति व्यक्त करते हुए परिपक्व एवं उत्कृष्ट संसदीय संस्कृति स्थापित कर इस सदन को गौरवान्वित किया ।

पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों ने सभा में परस्पर समन्वय एवं समादर की भावना से सदन के गतिरोध को समाप्त कर कार्यवाही के संचालन में मुझे अपना अधिकतम सहयोग दिया ।

सभा के मान-सम्मान में अभिवृद्धि एवं संसदीय परम्पराओं को अक्षुण्ण रखते हुए प्रक्रियाओं के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों से लोक कल्याण के मामलों को सभा में उठाने एवं वित्तीय तथा विधिक कार्यों पर लम्बी एवं सार्थक चर्चा के लिये माननीय सदस्यों को उनकी संसदीय दक्षता के लिये भी हृदय से बधाई देता हूं ।

वर्तमान सत्र जो तृतीय विधान सभा का बारहवां सत्र है, मुख्य रूप से वित्तीय एवं विधिक कार्य को सम्पादित करने के लिये माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा आहूत किया जाता है, इसके साथ ही माननीय राज्यपाल महोदय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत माननीय सदस्यों को सम्बोधित भी करते हैं । माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण राज्य शासन के विगत वर्षों की उपलब्धियों एवं आगामी वर्ष की योजना का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जिस पर प्रस्तुत धन्यवाद ज्ञापन के माध्यम से माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संशोधनों से सभा में माननीय सदस्य कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रक्रिया का आरंभ करते हैं । मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय सदस्यों ने कुल 1064 संशोधन प्रस्तुत कर 3 दिवसों में 10 घण्टे, 10 मिनट चर्चा कर अपने संसदीय कर्तव्यों का निर्वहन किया ।

वित्तीय कार्यों के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके पास वित्त विभाग भी है, ने दिनांक 19 फरवरी 2013 को वित्तीय वर्ष 2012-13 का तृतीय अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 20 फरवरी को सभा ने चर्चा उपरांत स्वीकृति प्रदान की ।

वर्तमान सत्र के लिये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार कुल 25 बैठकें प्रस्तावित थीं किंतु इस सदन की परम्परा के अनुसार माननीय मुख्यंत्री जी ने वित्त मंत्री के दायित्व का निर्वहन करते हुए शनिवार, दिनांक 23 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए अपने बजट भाषण के साथ आय-व्ययक का अनुमान प्रस्तुत किया ।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक पर सभा ने गंभीरता के साथ सामान्य चर्चा हेतु निर्धारित दो दिवस में कुल 7 घंटे 47 मिनट सामान्य चर्चा की, जो इसके पूर्व की सबसे अधिक अवधि तक वर्ष 2009 में हुई 6 घंटे चर्चा से 1 घंटा 47 मिनट अधिक है ।

गुरूवार, दिनांक 28 फरवरी, 2013 से 18 मार्च 2013 तक 12 दिवसों में सभा द्वारा निर्धारित कुल 36 घंटे 30 मिनट के स्थान पर कुल 64 घंटे 51 मिनट चर्चा हुई, जो इसके पूर्व की सबसे अधिक अवधि तक वर्ष 2006 में हुई 57 घंटे 17 मिनट से 7 घंटे 34 मिनट अधिक है, चर्चा करते हुए विभिन्न विभागों की योजनाओं, पूर्व वर्षों की उपलब्धियों एवं जन आकांक्षाओं के अनुरूप सुझावों के संबंध में अपने विचार प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किये । मैं वित्तीय कार्यों में माननीय सदस्यों की गहरी रूचि हेतु बधाई देता हूं ।

मुझे यह उल्लेख करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि छत्तीसगढ़ की इस सभा के माननीय सदस्यों के द्वारा प्रत्येक विषय पर अपनी बात रखने के फलस्वरूप आय-व्ययक की सभी मांगे विस्तार से चर्चा के पश्चात पारित की गई । मैं समस्त माननीय सदस्यों को इस हेतु बधाई देता हूं ।

संसदीय प्रक्रियाओं में सरकारी कार्यों के साथ-साथ गैर सरकारी कार्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं । नियमों के अंतर्गत इन कार्यों के लिए आवश्यक रूप से प्रत्येक शुक्रवार को अंतिम ढाई घण्टा निर्धारित किया गया है ।

गैर सरकारी कार्यों के अंतर्गत सदस्यों के द्वारा जनहित में गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से इस सभा के द्वारा संकल्प लिए जाने के प्रस्ताव को रखा जाता है, इसके साथ ही माननीय सदस्य महत्वपूर्ण विषयों पर गैर सरकारी विधेयकों के माध्यम से शासन का ध्यान आवश्यक विधि निर्माण की ओर आकर्षित करते हैं।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्तमान सत्र में सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत अशासकीय संकल्पों में से 12 संकल्प सदन में प्रस्तुत किये गए, 11 अशासकीय संकल्प सभा के द्वारा स्वीकृत किए गए तथा एक संकल्प माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया ।

तृतीय विधान सभा की अवधि में प्रथम बार एक गैर सरकारी विधेयक भी सभा में पुरःस्थापन की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया गया । मैं गैर सरकारी कार्यों में माननीय सदस्यों की रूचि के लिए माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं ।

गैर सरकारी कार्यों के माध्यम से सभा में जो विषय प्रस्तुत हुए, मेरा विश्वास है कि उनके जनकल्याणकारी परिणाम भविष्य में इस राज्य को अवश्य प्राप्त होंगे ।

वर्तमान सत्र के दौरान दो महत्वपूर्ण अवसरों का मैं यहां उल्लेख करना समीचीन समझता हूं । शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च, 2013 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आसंदी के माध्यम से सभा ने महिला जनप्रतिनिधियों सहित प्रदेश की महिलाओं को बधाई देते हुए प्रदेश के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया तथा सोमवार, दिनांक 11 मार्च, 2013 को राष्ट्रकुल दिवस के अवसर पर राष्ट्रकुल देशों के वर्ष 2013 के लिए आधार सूत्र **उद्यम के माध्यम से अवसर** का उल्लेख करते हुए आसंदी ने व्यक्त किया कि उद्यमिता एवं कर सकने के संकल्प से ही जन सामान्य के जीवन में नित-नये सुधार के सुनहरे अवसर प्रवर्तित किये जा सकते हैं ।

सत्र के दौरान दिनांक 8 एवं 9 मार्च को लोकसभा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रकुल महिला संसदविदों की संगोष्ठी में हिस्सा लेने के लिए इस सभा की दो महिला सदस्य श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर एवं श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी को नामांकित किया गया, जिन्होंने संगोष्ठी में राष्ट्रकुल संसदीय संघ की छत्तीसगढ़ शाखा का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने विचार व्यक्त किए और इस राज्य की **उप**स्थिति दर्ज करायी। मैं इस अवसर पर दोनों महिला सदस्यों को भी बधाई देता हूं ।

विधान सभा भवन एवं इसके परिसर को सर्वसुविधायुक्त स्वरूप देने हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं । इस क्रम में विगत वर्षों में विधान सभा परिसर में प्रेक्षागृह का निर्माण किया गया । प्रेक्षागृह के साथ ही माननीय सदस्यों, माननीय पूर्व सदस्यों एवं अन्य गणमान्य नागरिकों के विचार-विमर्श के लिए सेन्ट्रल हॉल का भी निर्माण कराया गया, जिसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति के करकमलों से हुआ । वर्तमान सत्र में इसे सुसज्जित कर इसका उपयोग भी

प्रारंभ किया गया । मैं विधान सभा परिसर को सर्वसुविधायुक्त बनाने में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एवं लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं । विधान सभा के पुस्तकालय के लिए समुचित स्थान उपलब्ध हो, इस हेतु एक 5 मंजिला पुस्तकालय भवन भी निर्माणाधीन है । इस भवन के निर्माण के साथ ही माननीय सदस्यों को उनके संसदीय कार्यों के सम्पादन के लिए एक ऐसा स्थान प्राप्त हो सकेगा, जहां माननीय सदस्य अध्ययन एवं शोध कार्य कर सकेंगे और सभा की कार्यवाही में और अधिक सक्षमता के साथ अपने संसदीय कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे ।

इस सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की विशेष आवासीय योजना-2012 के अंतर्गत माननीय सदस्यों जिन्हें पूर्व में इस योजना के अंतर्गत आवास प्राप्त नहीं हो सके थे, को धरमपुरा, रायपुर में विकसित किये जाने वाले भूखण्डों के आवंटन की कार्यवाही भी हुई ।

यह सभा इस प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत है । आप सब माननीय सदस्य प्रदेश की 2 करोड़, 25 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं । इस सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था के जनप्रतिनिधि अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन कैसे एवं किस प्रकार कर रहे हैं, यह प्रदेश की 2 करोड़, 25 लाख जनता जान सके, इस उद्देश्य से सभा के प्रश्नकाल की कार्यवाही का दूरदर्शन से प्रति दिन सायंकाल प्रसारण किया जाता है और इस प्रकार इस सभा की दर्शक दीर्घा का विस्तार जन-जन तक करने का प्रयास किया गया है और इसके साथ ही प्रदेश की जनता उनकी इस सर्वोच्च पंचायत को न केवल स्वयं देख सकें, अपितु यहां की कार्यवाही को समझ भी सके, इस उद्देश्य से निरंतर यह प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश की जनता को इस पंचायत परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखते हुए आसानी से प्रवेश मिल सके।

मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि विगत वर्षों में किये गये प्रयासों के फलस्वरूप ही इस 25 दिवसीय सत्र में सभा के परिसर में प्रवेश हेतु कुल 29,750 प्रवेश पत्र जारी किये गये। दीर्घाओं के लिए छात्र-छात्राओं को जारी कुल लगभग 3000 प्रवेश पत्र सहित दीर्घाओं के कुल 18,850 प्रवेश पत्र जारी किये गये। सभा की संक्षिप्त जानकारी एवं प्रक्रियाओं की जानकारी हेतु छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ विधान सभा एक परिचय पुस्तिका प्रदत्त की गई।

मेरा यह निश्चित मत है कि इस सभा की कार्यवाही को जन-जन तक पहुंचाकर संसदीय प्रणाली को पुष्पित एवं पल्लवित किया जा सकता है और प्रजातंत्र को और अधिक मजबूती प्राप्त हो सकती है। मैं आप सब जनप्रतिनिधियों को भी बधाई देता हूं और शिक्षण संस्थाओं की भी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने आम जन तक सभा की कार्यवाही पहुंचाने में सहयोग देते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विधायी कार्य इस सभा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। वर्तमान सत्र में कुल 14 शासकीय विधेयक प्रस्तुत हुए तथा सभा ने सभी विधेयकों को विचार-विमर्श के उपरांत स्वीकृति दी।

मैं कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों का यहां उल्लेख करना चाहूंगा-

1. छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) विधेयक, 2013
2. अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय विधेयक, 2013
3. दण्ड विधि (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2013
4. छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार विधेयक, 2013

उपरोक्त चारों विधेयक जन-कल्याण एवं छत्तीसगढ़ के विकास की यात्रा में निश्चित तौर पर न केवल मील का पत्थर साबित होंगे, अपितु छत्तीसगढ़ राज्य देश में एक ऐसे राज्य के रूप में पहचान स्थापित करेगा, जहां की सभा जन-कल्याण के कार्यों को विधिक रूप में सम्पादित करने में अग्रणी है।

इस सत्र में इस सभा के सदस्यों के वेतन भत्तों एवं सुविधाओं में वृद्धि से संबंधित विधिक प्रस्ताव को सभा ने मंजूरी दी।

अब मैं इस बजट सत्र में सभा में सम्पादित कार्यों की संक्षिप्त जानकारी से आपको अवगत कराना चाहूंगा। इस सत्र की 25 बैठकों में 149 घण्टे 36 मिनट चर्चा हुई।

इस सत्र में तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों की 2771 सूचनायें प्राप्त हुईं, इनमें से 230 तारांकित प्रश्नों पर सदन में चर्चा हुई।

दिनांक 18 मार्च को प्रश्नकाल के दौरान खाद्य विभाग से संबंधित स्थगित प्रश्न पर दिनांक 20 मार्च, 2013 को नियमों के अंतर्गत आधे घण्टे की चर्चा भी सदन में ली गई।

सभा में माननीय सदस्यों ने प्रत्येक विषय पर चर्चा को निष्कर्ष तक पहुंचाया। आपके इस कार्य से निश्चित ही प्रदेश की जनता के मध्य यह संदेश जाएगा कि उनके द्वारा चुने गये जनप्रतिनिधि इस प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत में जन-भावना, जन-कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कृतसंकल्पित है।

सत्र में स्थगन प्रस्ताव की कुल 190 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से एक ही विषय पर प्राप्त 37 स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को ग्राह्य कर सदन में चर्चा हुई। अग्राह्य स्थगन प्रस्तावों की संख्या 149 रही, 4 सूचनायें ध्यानाकर्षण में परिवर्तित की गई। इस सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 747 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें 125 सूचनाएं ग्राह्य व 527 सूचनाएं अग्राह्य रही तथा 95 सूचनाएं शून्यकाल में परिवर्तित की गई। इस सत्र में शून्यकाल की प्राप्त 194 सूचनाओं में से 112 सूचनायें ग्राह्य हुई।

इस सत्र में शासन के विभागों के कुल 25 प्रतिवेदन पटल पर रखे गये तथा सभा समितियों के 23 प्रतिवेदन भी सभा पटल पर रखे गये।

माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को याचिकाओं के माध्यम से निराकृत करने हेतु 50 याचिकाएं सभा में प्रस्तुत की गई।

इस सत्र में माननीय सदस्यों ने विधान सभा पुस्तकालय, संदर्भ एवं अनुसंधान सेवा का भी अत्यधिक उपयोग किया। माननीय सदस्यों को विभिन्न विषयों पर लगभग 460 संदर्भ सामग्रियाँ उपलब्ध करवायी गई। सत्रकाल में विधान सभा की वेबसाईट को भी शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित आम जन की भी अत्यधिक रूचि रहती है। सत्रावधि में लगभग 8000 बार विधान सभा की वेबसाईट को देखा गया।

सत्र में माननीय सदस्यों के लिये विधान सभा भवन स्थित एलोपैथिक चिकित्सालय में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन 05 मार्च से 07 मार्च 2013 तक किया गया। मैं इस हेतु स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

बजट सत्र के दौरान सांस्कृतिक आयोजन की परंपरा रही है, इसी तारतम्य में संस्कृति विभाग के सौजन्य से मंगलवार, 19 मार्च, 2013 को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका आप सभी ने आनंद लिया, इस सफल आयोजन हेतु मैं संस्कृति मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

इस सत्र समापन के अवसर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता के विषय में विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि अपनी कलम के माध्यम से आपने अपनी सार्थकता को सिद्ध किया है। मैं पत्रकार दीर्घा के सभी पत्रकार बंधुओं, मीडिया के प्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने सत्रकाल में सभा से संबंधित समाचारों को अपेक्षित स्वरूप में जन-जन तक पहुंचाने के कार्य को जिम्मेदारी के साथ निभाया।

इस सत्र समापन के अवसर पर सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय उपाध्यक्ष जी एवं सभापति तालिका के सम्माननीय सदस्यों सहित आप सभी सदस्यों को आपके सभा की कार्यवाही के संचालन में सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

इस अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके दायित्वों का गंभीरता से परिपालन करने हेतु बधाई देता हूँ।

सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई देता हूं कि आपने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को पूरे सत्रकाल में कायम रखा।

इस सत्र के समापन अवसर पर मैं अपने विधान सभा सचिवालय के प्रमुख सचिव एवं समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ, कि उनके समन्वित/समर्पित सहयोग से इस सत्र का सुचारू संचालन संभव हो सका।

परंपरा रही है कि सत्र समाप्ति के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि सदन को सूचित की जाती है तद्नुसार आगामी मानसून सत्र जुलाई माह के द्वितीय-तृतीय सप्ताह में आहूत करने की संभावना है।

इस अवसर पर मैं आवाह्न करना चाहता हूँ कि आईए! छत्तीसगढ़ राज्य के विकास और समृद्धि के संकल्प के अनुष्ठान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर इस पावन मंदिर की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प लें।

दिनांक 27 मार्च को रंगों का त्यौहार होली है। मैं समस्त माननीय सदस्यों को होली के अवसर पर बहुत-बहुत शुभकामनायें देता हूँ । आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

जय हिन्द! जय भारत! जय छत्तीसगढ़!

डॉ.रमन सिंह-मुख्यमंत्री, श्री रविन्द्र चौबे-नेता प्रतिपक्ष, श्री दूजराम बौद्ध-सदस्य, श्री बृजमोहन अग्रवाल-संसदीय कार्य मंत्री, ने भी इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त किये।

16. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अध्यक्षीय दीर्घा में श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, पूर्व विधान सभा अध्यक्ष उपस्थित हैं, सदन उनका स्वागत करता है।

17. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान **जन-गण-मन** की धुन बजाई गई।)

अपराह्न 3.30 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा